

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाजा सं० 401, 36-3-08-7(न्यू वे०)/04 दिनांक 24.02.2008 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंके के ऊपर जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 999 (नौ सौ निम्नानवे मात्र) पर दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तथा जनवरी 2013 से जून 2013 के औसत 1044 (एक हजार चौवलिस मात्र) पर दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित कृष्टान्त की भोंति गणना करके देय है:-
दृष्टांत :- रूपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1044 पर दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-
 (1044-522)

X 2600 = ₹ 2600.00 प्रतिमाह

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत हैं :-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक	
			दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक	दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रूपये में)	दैनिक मजदूरी दरें (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	2600.00	2375.86	2600.00	5200.00	200.00
2	अर्ध कुशल	2924.00	2708.48	2924.00	5928.00	228.00
3	कुशल	3290.00	3006.30	3290.00	6580.00	253.08

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (द्वयर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पर्यो (एरेटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फरों के रेशों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (फ्लोईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आर्येल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलार्ये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बौध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घर्म शोधनशाला और घर्म विनिर्माण शाला।
- घर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- घर्मशाला।
- पानिक (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकान।
- वाणिज्य अधिष्ठान।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।

30. लोक मोटर परिवहन ;
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियताओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. दियासलाई उद्योग।
36. आइस्क्रीम / आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
37. बर्फ विनिर्माणशाला।
38. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
39. लाण्टी और घुलाई अधिष्ठान।
40. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
41. चिकन के कार्य।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एनोपथिक, आयुर्वेदिक, युगुनी कार्रवाई।
50. क्लब।
51. हथकरघा (सिल्क और साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रसालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. चाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति घालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएघर) बल्ब एवं कौंच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट मट्टा उद्योग।

(के० के० पुरवार)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर

दिनांक 13/10/2013

पत्र सं- 2848-77 / प्रवर्तन-0 (मो मस्त) / 13
प्रतिलिपि

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेक्टर/योजनाओं व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसचिव उ०प्र० शास्त्र, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशास्त्री निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रमायुक्त, (नजारत) को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
6. उप श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
7. उप श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. उप श्रमायुक्त (पुस्तकालय), मुख्यालय को सूचनाई / अभिलेखाई प्रेषित।

(के० के० पुरवार)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

रोक 21 - 13410 + 13410 = 26820
नियं लाल - 8815 + 8815 = 17630
94450